न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/22 **दायरा दिनांक : 11.02.2025**

उनवान

चन्दा बाई पत्नी स्वर्गीय श्री कमल सिंह, पुत्री भंवर लाल, जाति भील, निवासी ददलाई, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. भंवर लाल वल्द रत्ता, जाति भील
2. रामबाबू वल्द रत्ता, जाति भील
3. रामबिलास वल्द रत्ता, जाति भील
4. रोशन वल्द रत्ता, जाति भील
   अकवाम निवासीगण ददलाई, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0
5. मांगीबाई पुत्री रत्ता जोजे कजोड, जाति भील, निवासी पिपलोदी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ राज0
6. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड़ राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 29.10.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 96/दावा/21 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम ददलाई, तहसील अकलेरा माल की नई खतौनी संख्या 69 की खसरा नम्बर 124 रकबा 0.2104 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 208 रकबा 0.2590 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.1133 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.3237 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.4209 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 0.8175 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 309 रकबा 0.0162 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 310 रकबा 0.9065 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 311 रकबा 0.6718 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.9712 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 437 रकबा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

0.3399 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 438 रकबा 0.6475 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 439 रकबा 0.0890 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.0162 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 457 रकबा 0.2104 हेक्टेयर कुल जुम्ला 15 किता की 6.0135 हेक्टेयर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2024 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ठोस साक्ष्य व कानूनी प्रावधानों के विपरीत एक तरफा आधार पर वादीगण/रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 4 को विवादित आराजी 15 किता की 6.0135 हेक्टेयर आराजी में 1/4–1/4 भाग आराजी का खातेदार घोषित करने एवं नामान्तकरण सं. 210 व 279 को वादीगण के अधिकारों के विपरीत बेअसर घोषित करने में त्रुटि की है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से पूर्णतया साबित था कि अपीलान्ट चंदा बाई खातेदार मृतक कमल सिंह की पत्नी है इस तथ्य को वादीगण/रेस्पो० नं. 1 लगायत 4 भी स्वीकार करते हैं परन्तु रेस्पो० के असत्य एवं आधारहीन कथन की अपीलांट कमल सिंह की मृत्यु के बाद वह नाते चली गई है को सही मानते हुये निर्णय एवं डिक्री जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है। रेस्पो०/वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह साबित नहीं किया कि अपीलान्ट चंदा बाई बजरंग लाल नाम के व्यक्ति के यहां नाते गई हो इस सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय में इस बिन्दु पर कोई फाइन्डिग नहीं दी गई कि किस आधार पर चंदा बाई अपीलान्ट को अन्य व्यक्ति के यहां नाता जाने के मामले में साक्ष्य दस्तावेज का विवेचन करते हुये कोई फाइन्डिग नहीं दी गई, बिना आधार के नाता जाना मानकर अपीलान्ट के पति कमल सिंह की सम्पत्ति पर अधिकार न होना मानने में त्रुटि की है। अपीलांट चंदा बाई मालियान तहसील अकलेरा में नहीं रहती आज भी पैतृक गांव ददलाई में रहती है जो आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों से प्रमाणित है। दस्तावेजी साक्ष्य के बिना अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक कमल सिंह के जीवनकाल में अपीलांट का बजरंग लाल नाम के व्यक्ति से नाता करना मान लिया जो अवैधानिक है। कानूनन कमल सिंह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अपीलांट होने से उसके हिस्से की आराजी पर अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारिनी है परंतु एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित होने के कारण अपीलान्ट अपनी साक्ष्य व जवाब अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने से वंचित रह गई। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2024 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे कि वह अपीलान्ट को

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जवाब व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का विधि सम्मत तरीके से निस्तारण करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की ज़ानकारी दिनांक 15.01.2025 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रज़िस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 ने घोषणा का दावा पेश किया था। वादीगण 1 लगायत 4 रत्ता के वारिस है। कमल पुत्र रत्ता की मृत्यु हो गई है। चन्दाबाई ने कमल की पत्नी बताते हुए तहसीलदार के समक्ष नामान्तरकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंट ने नामान्तरकरण की कार्यवाही के दौरान दावा किया। दावे में चन्दा का पता ग्राम मालिया लिखा है जबकि चन्दा ग्राम ददलाई में निवास करती है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्मन जारी नहीं किया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है। रजिस्टर्ड सम्मन गांव दुर्गपुरा का भरा है जो तामील नहीं हुई। साक्ष्य में बजरंगलाल नाम के व्यक्ति का शपथ पत्र पेश हुआ है। न्यायालय में स्वयं उपस्थित नहीं हुआ, इस शपथ पत्र के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। हमें सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा में वादीगण/रेस्पोडेंट कम 1 ता 4 द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तहत् एक वाद इस आशय का पेश किया कि ग्राम ददलाई तहसील अकलेरा माल की नई खातौनी संख्या 69 की कुल किता 15 की कुल 6.0135 हैक्टर आराजी स्थित है। वाद में वर्णित आराजी वादीगण को उसके पिता रत्ता पिता आसा से प्राप्त हुई है जो उनकी पुश्तैनी आराजी है तथा वादीगण के पिता की मृत्यु उपरांत इंतकाल नं. 210 दिनांक 19.02.2013 से वादीगण व मृतक कमलसिंह व बेवा नाराणी बाई व पुत्री मांगीबाई के खाते दर्ज हुई है। वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 व 2 जाति से भील है इस कारण उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 के अन्तर्गत खातेदार की विवाहिता पुत्री प्रतिवादी नं. 2 मांगीबाई व रत्ता के मृतक पुत्र कमलसिंह की बेवा पत्नि प्रतिवादी नं. 1 चंदाबाई को कमलसिंह की जिन्दगी से सन् 2009 में बजरंगलाल पिता मदनलाल जाति भील निवासी मालीया तहसील अकलेरा के नाते चली गयी थी इस कारण मृतक कमलसिंह के हिस्से की आराजी को उत्तराधिकार में कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। खातेदार रत्ता के फोत होने पर इंतकाल नं. 210 दिनांक 19.12.2013 को खोला गया, जो मांगीबाई के नाम गलत खोलकर तस्दीक किया गया है तथा उक्त इंतकाल नं. 210 मात्र वादीगण के पुत्रों व बेवा मृतका नाराणीबाई के नाम से खोलकर तस्दीक किया जाना चाहिए था। इस कारण उक्त अवैध इंतकाल नं. 210 दिनांक 19.02.2013 के वादीगण के टीनेन्सी अधिकारों पर बेअसर है जो खारिज होने योग्य है।

इसी प्रकार कमलसिंह की पत्नी चंदाबाई प्रतिवादी कम 1 द्वारा उसके द्वारा बजरंगलाल से नाता विवाह के तथ्य छुपाकर कमलसिंह के उत्तराधिकार का नामान्तरण संख्या 279 दिनांक 12.10.2021 को दर्ज कर लिया गया है परंतु उक्त इंतकाल प्रकियाधीन है तथा तस्दीक नहीं हुआ है। इस कारण वादीगण ही अपने मृतक भाई कमलसिंह के जायज वारिसान होने से नामान्तरण अपने नाम दर्ज कराने व तस्दीक कराने के कानूनन अधिकारी है। अतः उक्त वर्णित आराजी में से मृतक नाराणीबाई बेवा रत्ता व प्रतिवादिनी नं. 2 मांगीबाई पुत्री रत्ता व कमलसिंह के हिस्से की आराजी का वादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर वादीगण 1 ता 4 को 1/4–1/4 भाग आराजी का खातेदार घोषित किया जाये तथा आराजी में मृतक कमलसिंह, नाराणीबाई तथा मांगीबाई का नाम खाते से हटाया जाये तथा इंतकाल नं. 210 दिनांक 19.02.2013 को वादीगण के टीनेन्सी अधिकारों पर बेअसर घोषित किया जाये। प्रतिवादी कम 1 ता 3 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाये कि उक्त आराज़ी का रहन बेचान अंतरण किसी को नहीं करे एवं दौराने वाद इंतकाल नं. 279 दिनांक 12.10.2021 तस्दीक कर दे तो उसे वादीगण के टीनेन्सी अधिकारों पर बेअसर घोषित किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2024 से वाद वादीगण डिक्री किया जाकर अपने निर्णय में अंकित किया कि

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ग्राम ददलाई, तहसील अकलेरा की कुल किता 15 कुल रकबा 6.0135 हैक्टर आराजी में से मृतक नाराणबाई बेवा रत्ता व प्रतिवादनी नं. 2 मांगीबाई पुत्री रत्ता व कमलसिंह के हिस्से की आराजी का वादीगण 1 ता 4 प्रत्येक को 1/4–1/4 भाग आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी पर से मृतक कमलसिंह नाराणी बाई, मांगीबाई का नाम खाते से खारिज किया जाता है। इंतकाल नं. 210 दिनांक 19.02.2013 को वादीगण के टीनेन्सी अधिकारों पर बेअसर घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण 1 ता 3 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मृतक कमलसिंह के हिस्से की आराजी का नामान्तरण प्रतिवादी नं. 1 चन्दाबाई के नाम प्रतिवादी कम 3 तस्दीक नहीं करे तथा चन्दाबाई उक्त आराजी का रहन बेचान अंतरण किसी को नहीं करें। दौराने वाद इंतकाल नं. 279 दिनांक 12.10.2021 तस्दीक कर दिया गया है अतः उसे वादीगण के टीनेन्सी अधिकारों पर बेअसर घोषित किये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2024 के विरूद्ध अधिवक्ता अपीलांट/प्रतिवादिया कम 1 ने वर्तमान अपील प्रस्तुत कर दौराने बहस मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अपीलांट को एक तरफा निर्णय एवं डिक्री पारित होने के कारण साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, अतः प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट की साक्ष्य एवं सुनवायी हेतु रिमाण्ड किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 26.10.2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड होने के बाद प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी नहीं हुए सम्मनों की दोनों प्रतियां अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है। दिनांक 29.03.2023 के आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी 1 व 2 की तलबी हेतु तलबाना अप्राप्त वकील वादी तलबाना पेश करें, पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 02.05.2025 को नियत की गई। इससे पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड ए. डी. से तामील के सन्दर्भ में कोई आदेश पारित नहीं किया गया फिर भी दिनांक 25.07.2023 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी 1 व 2 बावजूद रजिस्टर्ड ए. डी. सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतिवादी अपीलांट की व्यक्तिगत तामील की पुष्टि नहीं होती। तामील के अभाव में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख पाये। अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एवं तामील हेतु निर्धारित सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2024 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः नये सिरे से तर्कानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.12.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/10/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा